(c) if so, the reasons why the Zonal managers of Eastern Region are not implementing this for their canteen staff; and

(d) whether Government have issued any orders to the Zonal managers of Eastern Region for immediate absorption of those staff as permanent?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI R. V. SWAMINATHAN): (a) No, Sir. The Canteen Staff of the departmental Canteens are regular employees.

(b) to (d) The notification issued by the Central Government on 11th December, 1979 notified the Government's decision to treat, with effect from the first day of October, 1979, all posts in the Canteen and tifin rooms run departmentally by the Government of India as posts in connection with the affairs of the Union. It provided that the existing and future incumbents of such posts would qualify as holders of civil posts under the Central Government. It did not declare that all canteen employees would be permanent. In any case the said notification does not apply to posts in the Canteen and tiffin rooms of the Food Corporation of India as such canteens are not run departmentally by the Government of India.

गुजरात के दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में डाक सेवा

1665. **श्री छोटूभाई गामित** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान गुजरात राज्य के उन दूरवर्ती आदिवासी क्षेत्रों की ओर दिलाया गया है जहां कोई डाक सुविधा नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात को ध्यान में रखते हुये सरकार ने सर्वेक्षण किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या योजना है?

संचार मंत्री (श्री सी. एम. स्टीफन): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, गुजरात राज्य में 3,570 आदिवासी ग्रामों में से 1250 गांवों में डाकघर स्थापित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त 947 आदिवासी गांवों को चलते फिरते डाकघरों के जरिए डाक काउंटर सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

(ख) इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि साम अवधि में ग्रामीण डाक योजना से संबंधित सूचना प्राप्त की जाती है।

(ग) आदिवासी क्षेत्रों में डाक सुविधाओं के विस्तार के लिए विभाग द्वारा उदारीकृत मानदंड निर्धारित किये गए हैं। इन मानदंडों के अनुसार और पंचवर्षीय/वार्षिक योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर खोलने हेतु निर्धारित लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए गुजरात सहित देश के आदिवासी क्षेत्रों में डाकघरों की मंजूरी दी जा रही है।

भारतीय खाद्य निगम के लिए नोखा में बनाये गये भाण्डागार

1666. **श्री मनफूल सिंह चौधरी**: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय खाद्य निगम के लिए नोखा में कितने भाण्डागारों का निर्माण किया गया है;

(ख) इन भाण्डागरो की लागत क्या है और उनके निर्माण के लिए सरकार द्वारा कितना ऋण दिया गया;

(ग) क्या यह सच है कि इन सभी भाण्डागारों का स्वामित्व एक परिवार के पास है और इस परिवार का मुखिया दिल्ली और कलकत्ता में रहता है; और

(घ) हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन): (क) बीकानेर जिले में स्थित नोखा के दो कम्पलेक्सों में कुल 27,500 मीटरी टन की क्षमता के भाण्डा-

गारों का निर्माण किया गया था अर्थात् एक कम्पलेक्स में 17,500 मीटरी टन और दूसरे में 10,000 मीटरी टन की क्षमता के, जिन्हें भारतीय खाद्य निगम को किराये पर दिया जाना था।

(ख) एक विवरण अनुबन्ध 'क' संलग्न है जिसमें इन दो गोदामों का निर्माण करने के लिए संबंधित पार्टियों को बैंकों से दिए गए ऋण (सरकार द्वारा कोई भी ऋण नहीं दिया गया) का ब्यौरा दिया गया है। भारतीय खाद्य निगम को इन भाण्डागारों के निर्माण पर हुई ठीक-ठीक लागत के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(ग) और (घ). प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबन्ध 'क' पर संलग्न विवरण के स्तम्भ 2 पार्टियों के नाम और पते दिए गए हैं। भारतीय खाद्य निगम को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है कि ये भाण्डागार एक ही परिवार के स्वामित्व के हैं और यदि हां तो परिवार के मुखिया के आवास संबंधी ब्यौरा क्या है। प्राइवेट पार्टी से गोदाम किराये पर लेते समय निगम केवल उसके द्वारा निर्धारित की गई विनिर्दिष्टयों के अनुरूप स्थान की उपयुक्तता और गोदामों की हालत का निरीक्षण करता है। निगम परिवार के आवास आदि जैसे ब्यौरे एकत्रित नहीं करता है।

विवरण

नोखा (जिला बीकानेर) में गोदामों का निर्माण करवाने के लिए बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों का ब्यौरा

क्रम संख्या	पार्टी का नाम तथा पता	निर्माण कर वाई गई क्षमता	पेशगी की राशि (लाख रु० में)
1	मैसर्स बागरी सीरलज प्राइवेट लिमिटेड, नोखा	17,500	11.44
2	मैसर्स मोहन लाल चंडक फैमिली ट्रस्ट, नोखा	5,000	6.00
3	मैसर्स देवी किशन चडक फैमिली ट्रस्ट, नोखा	5,000	6.00

Bhupinder Singh Nagar Group of Colonies, Delhi

1667. SHRI PIUS TIRKEY: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) the names of colonies which constitute Major Bhupinder Singh Nagar Group of colonies in West Zone Area of Delhi;

(b) whether these colonies have been approved by the Delhi Municipal Corporation;

(c) whether lay out of these colonies has been approved by the concerned authorities; and if not, the time by which it would be approved; and

(d) whether sale deeds in respect of plots in these colonies are being registered; and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING (SHRI P. C. SETHI): (a) Major Bhupinder Singh Colony consists of Old Shahpura, New Shahpura, Prithvi Park, Krishna Nagar, Guru Nanak and Sant Garh.

(b) Yes, Sir.

(c) The Municipal Corporation of Delhi has reported that the regularisation Plan of the colony known as Major Bhupinder Singh Nagar has been approved by its Standing Committee.

(d) The transfer of land in unauthorised colonies, as in the case of other areas in Delhi, is subject to the provisions of Delhi Lands (Restriction on Transfer) Act, 1972, which prohibits transfer of land which has been acquired or is proposed to be acquired for the implementation of